एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
ईमेल: nazim@mnkassociates.com
पता: एमएनके हाउस, 9ए/9–10, बेसमेंट, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
दिनांक: 12.10.2022
स्थान : नई दिल्ली

Director
Remi Sales and Engineerin
Sd/-
Ritvik Saraf
Executive Director

Place: Mumbai
Date : October 12, 2022.

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई टावर,
61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019
फोन: 011-41732000
फैक्स: 011-26230201
ईमेल: complianceofficer@ifciltd.com
वेबसाइट: www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

आज़ादी का अमृत महोत्सव

शेयरधारकों को सूचना का शुद्धिपत्र

आईएफसीआई लिमिटेड ("कंपनी") ने कंपनी के सदस्यों की असाधारण आम बैठक आयोजित करने के लिए 27 सितंबर, 2022 ("ईजीएम की सूचना") का नोटिस जारी किया था, जो **गुरुवार, 27 अक्टूबर, 2022 को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी)** आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (ओएवीएम) से संबन्धित है। ईजीएम की सूचना कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित प्रासंगिक नियमों के अनुपालन में भेजी गई है।

यह शुद्धिपत्र उक्त ईजीएम नोटिस और निम्नलिखित बिंदुओं पर व्याख्यात्मक विवरण के संदर्भ में जारी किया जा रहा है:

1. पृष्ठ संख्या 1 और 14 पर, अंक और शब्द '9,31,09,869 (नौ करोड़ इकतीस लाख नौ हजार आठ सौ उनसठ)' को '9,29,36,802 (नौ करोड़ उनतीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ दो)' के रूप में पढ़ा जाए)।
2. पृष्ठ संख्या 1, 14 और 18 पर, अंक और शब्द '₹10.74 (दस रुपये और चौहत्तर पैसे मात्र) [₹0.74 (पैसा चौहत्तर)' के प्रीमियम सहित, को '₹10.76 (दस रुपये छिहत्तर पैसे केवल)) [₹0.76 पैसा छिहत्तर) प्रीमियम सहित, के रूप में पढ़ा जाए।
3. पृष्ठ संख्या 16 पर, अंक '1,45,70,63,939', को '1,45,68,90,872' के रूप में पढ़ा जाए और कुल योग '2,19,61,01,174' को '2, 19,59,28,107' पढ़ा जाए।

यह शुद्धिपत्र ईजीएम की सूचना का एक अभिन्न अंग होगा जो पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को परिचालित किया जा चुका है और इस तारीख से ईजीएम की सूचना को हमेशा इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाएगा। यह शुद्धिपत्र दोनों स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई और एनएसई, कंपनी की वेबसाइट और ई–वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ईजीएम के नोटिस की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेगी और इस शुद्धिपत्र के कारण शेयरधारकों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे गए मद संख्या 1 में संकल्प के दायरे और आशय में कोई बदलाव नहीं होगा।

सदस्यों को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **सोमवार, 24 अक्टूबर, 2022 को पूर्वाह्न 9:00 (आईएसटी)** बजे शुरू होगी और **बुधवार, 26 अक्टूबर, 2022 को शाम 5:00** (आईएसटी) बजे समाप्त होगी।

कृते आईएफसीआई लि.
ह./–
(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अक्टूबर, 2022

GENNEX LABORATORIES LIMITED

CIN : L24230TG1990PLC011168
Regd. off. : Survey No. 133, Bollaram, Jinnaram Mandal, Sangareddy Dist - 502 325, Telangana, India.
Corporate Office: Akash Ganga, 03rd Floor, Plot No.144, Srinagar Colony, Hyderabad-500073, Telangana, India.
Phone: 040-67334400; E-mail: investorrelations@gennexlab.com
website: www.gennexlab.com

Contact Person: Mr. Rajesh Vankadara, Company Secretary and Compliance Officer

FOR THE ATTENTION OF REGISTERED MEMBERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES ON PAYMENT OF FIRST AND FINAL CALL

The Board of Directors at its meeting held on Monday, September 26, 2022 decide the following:

a) Fixed the record date as Friday, October 07, 2022 for the purpose of determining the shareholders to whom the call notice will be sent for payment of First and Final Call on 5,25,06,534 partly paid-up equity share (Partly Paid-Up Equity Shares) issued and allotted by Gennex Laboratories Limited (Company) on Friday, August 26, 2022, pursuant to rights issue offer vide letter of offer dated Saturday, July 16, 2022.

b) Further, in accordance with the disclosures included in the Letter of offer dated Saturday, July 16, 2022, the Partly Paid-up Equity shares in respect of which the call payable remains unpaid, shall be forfeited at any time after the last date of payment of call money due.

In continuance to the above, at the meeting held on Wednesday, September 26, 2022 of the Board of Directors with reference to the LOF, has decided the following:

i) The Call Money for the purpose of making the balance money payment by the Partly Paid-up Equity Shareholders will commence on Friday, October 14, 2022 and ends on Friday, October 28, 2022.

ii) The Trading of Partly Paid-up Equity Shares of the Company (BSE Scrip Code: 890171; ISIN: IN9509C01016 suspended with effect from October 08, 2022.

iii) Further Separate email intimation sent to all the Partly-paid Equity shareholders of the Company along with the detailed Call Money Notice and payment methods has been dispatched by e-mail on Tuesday, October 11, 2022 to all the holders of the partly paid-up equity shares of the Company as on the record date i.e. Friday, October 07, 2022.

For Gennex Laboratories Limited
Sd/-
Arihant Baid
Managing Director

Date : 12.10.2022
Place : Hyderabad

Registered Office: Office No 327
Contact D

Open Offer for acquisition of u (Twenty-Six Percent) of the Vot and Thirty Paise Only) per offer 3) and Mohit Agarwal (Acquirer applicable provisions of the Se and subsequent amendments t

This Post-Offer Advertisement is to the provisions of Regulation 18 (Hindi daily) (All Editions) and Mum was published on Tuesday, Marc

This Post-Offer Public Announce

(a) Public Announcement dat
(b) Detailed Public Statement ***Public Statement***')
(c) Draft Letter of Offer dated
(d) Letter of Offer dated Mond ('***Letter of Offer***');
(e) Corrigendum to the Lett ('***Corrigendum to the Lett***
(f) Recommendations of the the Newspapers on Monda
(g) The dispatch confirmation May 24, 2022 ('***Dispatch***
(h) Pre-Offer Advertisement c on Tuesday, May 24, 202
(i) Intimation of Extension of 20, 2022 ('***Extension of C***
(j) Corrigendum to Offer for September 30, 2022 ('***Cor***
(k) Joint Public Notice pursua 04, 2022 ('***Joint Public N***

The Public Announcement, of IDC, Dispatch Confirma Revision of Offer Price, an

1.	**Name of the Target Com**
2.	**Name of the Acquirers a**
3.	**Name of Manager to the**
4.	**Name of Registrar to the**
5.	**Offer Details**
5.1	Date of Opening of the O
5.2	Date of Closing of the Off
6.	**Date of Payment of Con**
7.	**Details of the Acquisitio**
	Particulars
7.1	Offer Price
7.2	Aggregate number of Equ
7.3	Aggregate number of Equ
7.4	Size of the Open Offer (N multiplied by Offer Price pe
7.5	**Shareholding of the Acc**
a)	Number of Equity Shares
b)	% of fully diluted Equity S
7.6	**Equity Shares acquired**
a)	Number of Equity Shares
b)	% of fully diluted Equity S
7.7	**Equity Shares acquired**
a)	Number of Equity Shares
b)	% of fully diluted Equity S
7.8	**Equity Shares acquired**
a)	Number of Equity Shares
b)	Price of the Equity Shares
c)	% of Equity Shares acqu
7.9	**Post-Offer shareholding**
a)	Number of Equity Shares
b)	% of fully diluted Equity S
7.10	**Pre-Offer and Post-Offer**
	Particulars
a)	Number of Equity Shares
b)	% of fully diluted Equity S
8.	The Acquirers accept full r SEBI (SAST) Regulations.
9.	The Acquirers will consum with 17 of the SEBI (SAST accordance with the pro Requirements) Regulatio
10.	A copy of this Post-Offer www.sebi.gov.in, BSE Lin
11.	The capitalized terms use specified.

**Note*- *Offer price is ₹10.30/- a to total offer price of ₹10.60/-*

ISSUED BY MANAGER T

CAPITALSQ
Teaming together to c

Date: Wednesday, October 12
Place: Mumbai

Jansatta - Delhi: 13/10/2022

दौलत राम पाहुजा के स्वामित्व में है और क्षेत्रफल 100 वर्गगज एवं कवर्ड एरिया 600 वर्गफीट है। सीमाएं- उत्तर: मदन मोहन का प्लॉट, दक्षिण: रास्ता, पूर्व: स्वयं का कब्जा, पश्चिम- खूबीराम का प्लॉट

दिनांक: **30/09/2022**, संजय शर्मा
समय: सुबह **10.30** बजे, स्थान: गुरुग्राम प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: आईएफसीआई टावर,
61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019
फोन: 011-41732000
फैक्स: 011-26230201
ईमेल: complianceofficer@ifciltd.com
वेबसाइट: www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

आज़ादी का अमृत महोत्सव

शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की असाधारण महासभा (ईजीएम) में विशेष कारोबार करने के लिए **गुरूवार, 27 अक्तूबर, 2022 को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो–विजुअल (ओएवीएम) माध्यमों की मार्फत सभागार, पहली मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 में, आयोजित की जाएगी।

यह असाधारण महासभा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्रों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम से की जा रही है। असाधारण महासभा के स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति अपेक्षित नहीं है। वीसी/ओएवीएम की मार्फत असाधारण महासभा में भाग लेने के इच्छुक सदस्य असाधारण महासभा में इसकी सूचना में दी गई कार्य-प्रक्रिया के अनुसार भाग ले सकते हैं।

उक्त परिपत्रों के अनुसरण में, असाधारण महासभा के आयोजन की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट/डिपाजिटरी भागीदार (भागीदारों)/के पास पंजीकृत हैं। अतः असाधारण महासभा की सूचना की भौतिक प्रति नहीं भेजी गई है।

असाधारण महासभा के आयोजन की सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.ifciltd.com**, रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त एजेंसी के नाते सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट **www.evotingindia.com** तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ, विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी अपने सदस्यों को असाधारण महासभा में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाने वाले संकल्प के लिए सभा के स्थान से भिन्न किसी स्थान से (रिमोट ई–वोटिंग) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि सोमवार, 24 अक्तूबर, 2022 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से आरम्भ होगी और बुधवार, 26 अक्तूबर, 2022 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। तत्पश्चात् सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। रिमोट ई–वोटिंग की उक्त उल्लिखित तारीख और समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा दिया है, वे वीसी/ओएवीएम द्वारा असाधारण महासभा में भाग तो ले सकेंगे लेकिन अपना वोट पुनः डालने के पात्र नहीं होंगे। वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत निर्देश ईजीएम बुलाने वाले नोटिस में दिए गए हैं।

केवल वही सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा की मार्फत असाधारण महासभा में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया है तथा उन्हें ऐसा करने से बाधित न किया गया हो, वे असाधारण महासभा में ई–वोटिंग प्रणाली की मार्फत वोट करने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग तथा असाधारण महासभा में ई-वोटिंग के विस्तृत अनुदेशों के लिए कृपया असाधारण महासभा की सूचना देखें।

ई-वोटिंग के उद्देश्य से कट-ऑफ तारीख गुरूवार, 20 अक्तूबर, 2022 निर्धारित की गई है। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तारीख को सदस्यों के रजिस्टर या भागीदारों द्वारा रखे गए हितधारक स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वही सदस्य असाधारण महासभा में रिमोट ई-वोटिंग या असाधारण महासभा में ई-वोटिंग सुविधा के पात्र होंगे।

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं या जिन्होंने अपने ई–मेल आईडी कम्पनी के पास दर्ज नहीं कराए हैं, वे अपने ई-मेल आईडी दर्ज कराते हुए और असाधारण महासभा में भाग लेने के लिए कम्पनी के पास आवेदन करते हुए सभा के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली की मार्फत अपना वोट (ईजीएम नोटिस में दी गई प्रक्रिया के अनुसार), इस ईजीएम की कट–ऑफ तिथि यानि गुरूवार, 20 अक्तूबर, 2022 तक दे सकते हैं।

शेयरधारक ई-मेल आईडी, पैन, डीपीआईडी/क्लायंट आईडी या फोलियो नम्बर तथा उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए अपने ई-मेल आईडी रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास **admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com** पर पंजीकृत करा सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर खरीदता है और कम्पनी का सदस्य बनता है, उनसे कृपया ईजीएम में भाग लेने और उसमें मतदान करने (ईजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग दोनों) के निर्देशों के संबंध में कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज और सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध ईजीएम नोटिस का संदर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आवश्यक सूचना और व्याख्यात्मक बयान में संदर्भित सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक के बीच इस ईजीएम की तिथि तक निरीक्षण के लिए खोले जाएंगे।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग के सम्बन्ध में किसी पूछताछ/शिकायत (तों) के मामले में सदस्य श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथान फ्यूचरैक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नम्बर 1800225533 पर फोन कर सकते हैं।

कृते आईएफसीआई लि.
ह./–
(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

दिनांक : **04 अक्तूबर, 2022**
स्थान : **नई दिल्ली**

Company	Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations, (Fifteen Lakh Eight One Thousand Eight value of ₹5/- each representing 26.00% of the Target Company at a price of ₹7.50 Price"), payable in Cash.
Acquirers	Mrs. Annjana Dugar and Ms. Likhitta Du
Manager to the offer	Kunvarji Finstock Private Limited
Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	1. Mr. Rajapandian Sivalingam T - 2. Mr. Paramasivan Arunachala Devar -
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any	IDC Members are Independent Director They do not have any equity holding in entered into any other contract or has oth
Trading in the Equity shares / other securities of the TC by IDC Members	No trading in the equity shares of the Ta the IDC Members
IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any.	None of the IDC Members holds any con acquirers in their personal capacities.
Trading in the Equity shares / other securities of the acquirers by IDC Members	No trading in the equity shares / other sec
Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, IDC Members believ and in line with the Regulations.
Summary of reasons for the recommendation	IDC has taken into consideration the follo IDC has reviewed a) The Public Announcement ("PA") dated b) The Detailed Public Statement ("DPS") c) The Draft Letter of Offer ("DLOF") dated d) The Letter of Offer ("LOF") dated 22/09 Based on the review of PA, DPS, DLOF view that the offer price is in line with the Regulations. The equity shares of the Target Company BSE and are non-frequently traded with "Frequently traded shares" under clause (j of the SEBI (SAST) Regulations on BSE. The offer price of ₹ 7.50/- (Seven Rupee terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST of the following:

Sr. No.	Particulars
1	Negotiated Price. i.e. The highest equity share of the Target Company any agreement attracting the obligati an open offer.
2	The volume-weighted average price acquisition by the acquirers during 52 preceding the date of PA.
3	The highest price paid or payable fo the acquirers during 26 weeks immed date of the PA.
4	The volume-weighted average market shares for a period of sixty trading preceding the date of PA as traded on shares are frequently traded.
5	The per equity share value compute 8(5) of the Takeover Regulations, if ap
6	Where the shares are not frequent determined by the acquirers and the M taking into account valuation parame value, comparable trading multiples share.

*(*As certified by CA Saurabh Srivastava No.: IBBI/RV/06/2020/13607) having office Sarjapur road, Nr. Bellandur Gate, Ban 9900085630; Email: saurabh@bahlchand shares of Target Company and calculated t (Seven Rupees and Fifteen Paisa Only) vid 07/07/2022).*

In view of the parameters considered and opinion of the acquirers and manager of th terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST)

Details of Independent Advisors, if any.	None
Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making the proper enquiry, the informatio statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Compa

F

Place: Chennai
Date: 04/10/2022

पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019

सीआईएनःL74899DL1993GOI053677

ई-मेल:complianceofficer@ifciltd.com; वेबसाइट: www.ifciltd.com

टेलीफोन: 91-(011)- 4173 2000, फैक्स: 91- (011)- 2623 0201

आईएफसीआई लिमिटेड

की

असाधारण महासभा (ईजीएम)

दिन	:	बृहस्पतिवार
दिनांक	:	27 अक्तूबर , 2022
समय	:	प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी)
स्थान	:	सभागार, पहली मंजिल आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस नई दिल्ली - 110 019 {वीडियो कान्फ्रेंस(वीसी)/अन्य आडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) की मार्फत)}

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि **आईएफसीआई लिमिटेड** के सदस्यों की असाधारण महासभा (ईजीएम) बृहस्पतिवार, दिनांक 27 अक्तूबर, 2022 को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) सुविधा की मार्फत सभागार, पहली मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 में निम्नलिखित कारोबार के संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगीः

<u>विशेष कारोबारः</u>

मद संख्या 1: भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन की मार्फत 100 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जारी करना

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना एवं यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उनके बिना, विशेष संकल्प (संकल्पों) के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कम्पनी (प्रतिभूतियों के प्रविवरण तथा आबंटन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62 तथा लागू अन्य उपबन्धों, यदि कोई हों, कम्पनी (शेयर पूंजी व डिबेंचर) नियमावली, 2014 (समय-समय पर लागू किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या उनके पुनः अधिनियमन सहित), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम तथा प्रकटन अपेक्षाएं) नियमावली, 2018 (आईसीडीआर नियमावली) के उपबन्धों, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण व अधिकार में लेना) नियमावली, 2011, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (आन्तरिक लेन-देन निषेध) नियमावली, 2015, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमवली, 2015 (सूचीकरण विनियमावली) के उपबन्ध, प्रत्येक यथासंशोधित, अन्य कोई लागू विधि, नियम एवं विनियम तथा कम्पनी

के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के लागू उपबन्धों और कम्पनी द्वारा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. (एनएसई) के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करारों और उपयुक्त सांवधिक/नियामक प्राधिकरणों के आवश्यक अनुमोदनों/मंजूरियों/अनुमतियों, जो भी लागू हों, की शर्त के अधीन, तथा इनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन/मंजूरियां देते समय निर्धारित की जानी वाली शर्तों के अधीन और कम्पनी के निदेशक बोर्ड (जिसे इसमें आगे बोर्ड कहा जाएगा और जिसके अन्तर्गत कोई समिति/समितियां भी शामिल समझी जाएंगी, जिसे बोर्ड ने इस संकल्प द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के लिए गठित किया हो या गठित किया जा सकता हो) द्वारा यथा सहमत शर्तों पर, कम्पनी के प्रत्येक 10/- रुपए (दस रुपए) के अंकित मूल्य वाले 9,31,09,869 (नो करोड़ इकतीस लाख नो हजार आठ सौ उनहत्तर) इक्विटी शेयर, भारत सरकार को 10.74 रुपए (दस रुपए चोहत्तर पैसे केवल) प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर { 0.74 रुपए (चोहत्तर पैसे केवल) के प्रीमियम सहित} कुल मिलाकर 100,00,00,000 रुपए (एक सौ करोड़ रुपए) के अधिमान्य आबंटन आधार पर सृजित करने, निर्गम करने, पेश करने और आबंटन करने के लिए बोर्ड को सदस्यों की सहमति एतदद्वारा प्रदान की जाए और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर सभी प्रकार से कम्पनी के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समरूप माने जाएंगे ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को आवश्यक आवेदन करने और आवश्यक समझे गए अन्य सभी प्रयास करने और भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले इक्विटों शेयरों के सूचीकरण के सम्बन्ध में बीएसई और एनएसई तथा डिपाजिटरीज अर्थात् नेशनल सिक्युरीटीज डिपाजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") तथा भारत सरकार के डीमेट खाते में अपेक्षित स्टॉम्प ड्यूटी के भुगतान के बाद इन इक्विटी शेयरों को क्रेडिट करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार उक्तानुसार जारी तथा आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण करने के उद्देश्य से "प्रासंगिक तारीख" 27 सितंबर , 2022 होगी, जो इन इक्विटी शेयरों को जारी करने के अनुमोदन हेतु 27 अक्तूबर , 2022 को होने वाली असाधारण महासभा की तारीख से 30 (तीस) दिन पूर्व की तारीख है ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड (यहां विधिवत् गठित किसी भी समिति सहित) को ऐसे सभी कार्य, कृत्य और काम करने तथा आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले कार्य, उचित या वांछनीय, या उक्त शेयरों को जारी करने से सम्बन्धित किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के समाधान हेतु और आवश्यक, वांछनीय और व्यवहारिक सभी दस्तावेजों और लिखतों को अन्तिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।"

मद संख्या 2 : कंपनी की महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की 20% से अधिक परिसंपत्तियों की बिक्री करने /के निपटान का अनुमोदन करना

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो उन्हें, संशोधन (नों) के साथ अथवा उनके बिना, विशेष संकल्प (पों) के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों (उस समय लागू किसी भी सांविधिक आशोधन(नों) सहित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 24 (6) और कंपनी की महत्वपूर्ण सहायक कंपनी का निर्धारण करने संबंधी

नीति और आवश्यक अनुमोदनों की शर्त के अधीन, कंपनी की एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी ("मैटेरियल सब्सिडियरी") आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) द्वारा प्लॉट नंबर 4 ए, मयूर विहार, नई दिल्ली स्थित होस्पिपिटलिटी यूनिट/सर्विस्ड अपार्टमेंट, जो आईआईडीएल की संपत्ति के मूल्य का 20% से अधिक मूल्य धारित करने के कारण/किसी वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रतिफल या बोर्ड द्वारा उचित समझे गए नियमों और शर्तों पर निर्धारित उच्चतर मूल्य के कारण कंपनी की महत्वपूर्ण सहायक कंपनी है, की बिक्री करने/का निपटान करने के लिए कंपनी के सदस्यों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा सहमति दी जाती है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक बोर्ड (जिसे इसके पश्चात "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है तथा जिसमें वह कोई भी समिति शामिल मानी जाएगी जो बोर्ड ने उपर्युक्त प्रदत्त शक्तियों सहित,अपने एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की है या इसके पश्चात गठित करेगा), को ऐसे सभी कार्यों, मामलों, विलेखों और चीजें करने और ऐसे सभी निर्देश देने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जो यह अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, बिना सदस्यों से और स्पष्टीकरण, सहमति या अनुमोदन मांगे जाने की आवश्यकता के बिना, किसी सीमा के नियामक प्राधिकरणों के साथ सभी आवश्यक आवेदन फाइल करने, उपर्युक्त बिक्री के प्रयोजन हेतु आवश्यक सलाहकारों, मूल्यांकनकर्ताओं, कानूनी सलाहकारों और ऐसी सभी एजेंसियों की नियुक्ति करने सहित, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समीचीन या वांछनीय समझे और कि यह समझा जाएगा कि सदस्यों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा उस पर स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को आवश्यक मुख्तारनामा या प्राधिकार पत्र के निष्पादन के जरिये किसी भी समिति या कर्मचारी या व्यक्ति को उपरोक्त कोई या सभी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतदद्वारा द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड द्वारा किसी भी पूर्वगामी संकल्पों में संदर्भित या विचारित किसी भी मामले के संबंध में की गई सभी कार्रवाइयों का एतदद्वारा सभी प्रकार से अनुमोदन, अनुसमर्थन और पुष्टि की जाए और एतदद्वारा ऐसा किया जाता है ।"

पंजीकृत कार्यालय | **निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार**

आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली - 110 019
सीआईएनः L74899DL1993GOI053677
टेलीफोनः011-41732000
फैक्सः 011-26230201
वेबसाइटः www.ifciltd.com
ई-मेलः complianceofficer@ifciltd.com

(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

दिनांकः 27 सितंबर , 2022

टिप्पणियां:

1. निगमित कार्य मंत्रलय द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के 17/2020, 15 जून, 2020 के 22/2020, 28 सितम्बर, 2020 के 33/2020, 31 दिसम्बर, 2020 के 39/2020, 23 जून, 2021 के 10/2021, तथा 8 दिसंबर, 2021 के 20/2021 के साथ पठित दिनांक 5 मई , 2022 के परिपत्र संख्या 03/2022 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों के अनुसरण में कम्पनी की असाधारण महासभा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी ।

2. कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के उपबन्धों और सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सेबी सूचीकरण विनियम) (यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुसार और एमसीए के दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 के परिपत्र के अनुसार कम्पनी असाधारण महासभा में किए जाने वाले कारोबार के सम्बन्ध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य से, कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को प्राधिकृत वोटिंग एजेंसी के रूप में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। असाधारण महासभा (वेन्यू वोटिंग) की तारीख को रिमोट मतदान पद्धति का उपयोग करने वाले सदस्य को मतदान की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा लागू परिपत्र के अनुसार इस ईजीएम में सदस्यों के लिए बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्राक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः प्रॉक्सी फार्म इस सूचना का भाग नहीं है । तथापि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधि जैसे कि भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या निगमित निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से

ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

4. असाधारण महासभा के आयोजन की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर अपलोड की गई है । यह सूचना स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से भी ली जा सकती है । ईजीएम के दौरान, ईजीएम की सूचना सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तथा ई-वोटिंग सिस्टम प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित की जाएगी ।

5. ईजीएम के लिए सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110 019 को "बैठक का स्थान" माना जाएगा।

6. निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020 के अनुसार ईजीएम बुलाने की सूचना की काई भौतिक रूप से नहीं भेजी जाएगी। ईजीएम बुलाने की सूचना उन सदस्यों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके सम्बन्धित डिपोजेटरी भागीदारों के पास पंजीकृत है।

7. वे शेयरधारक, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी (यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं) डिपाजिटरी भागीदार के पास/आरएण्डएसटीए के पास (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं) पंजीकृत या अद्यतन कराएं । रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट से admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

8. सदस्य ईजीएम नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम द्वारा असाधारण महासभा में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा में भागीदारी की सुविधा

1000 सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

तथापि इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना असाधारण महासभा मे उपस्थित होने की अनुमति है ।

9. संस्थागत शेयरधारकों से अनुरोध व प्रोत्साहित किया जाता है कि वे कम्पनी की ईजीएम में भाग लें और अपना वोट करें ।

10. ईजीएम में भौतिक उपस्थिति की अनुमति नहीं होगी । वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

11. सदस्यों को बैठक के दौरान प्रश्न करने की अनुमति होगी। प्रश्नों को अग्रिम रूप से complianceofficer@ifciltd.com पर भेजा जा सकता है।

12. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के उपबन्धों के अनुसरण में मद संख्या 1 एवं 2 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों से सम्बन्धित विवरण इसके साथ संलग्न हैं ।

13. कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन आवश्यक संलग्न सूचना तथा व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सदस्यों के निरीक्षण के लिए सभी कार्य-दिवसों, शनिवार, रविवार व अवकाश के दिनों को छोड़कर, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक असाधारण महासभा की तारीख तक उपलब्ध होंगे ।

14. सेबी अपेक्षाओं के अनुसार डी-मैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन उस डिपाजिटरी भागीदार के पास जमा कराएं जो उनके डी-मैट खाते का रखरखावव कर रहे हैं। भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य अपने पैन के विवरण कम्पनी या आरएण्डएसटीए को भेज सकते हैं।

15. बैठक में संयुक्त धारक के भाग लेने के मामले में केवल वही संयुक्त धारक, जिसका नाम पहले धारक के रूप में पंजीकृत है, रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में वोट देने का पात्र होगा।

ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैंः

(i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 24 अक्तूबर, 2022 को प्रात: 9.00 बजे (आईएसटी) से आरम्भ होगी और बुधवार, 26 अक्तूबर , 2022 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, कम्पनी के शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में या डीमैट रूप में है, कट-ऑफ तारीख के अनुसार बृहस्पतिवार, 20 अक्तूबर , 2022 तक अपना वोट इलेक्ट्रोनिक रूप से डाल सकते हैं । तत्पश्चात् वोट करने के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल बंद कर दिया जाएगा ।

(ii) जो शेयरधारक वोटिंग की तारीख से पहले ही वोट डाल चुके हैं उन्हें बैठक में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

(iii) सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा दी गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले अलग-अलग शेयरधारकों को भागीदारों और डिपाजिटरी भागीदारों के पास रखे गए उनके डी-मैट खातों के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दी गई है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग सुविधा लेने के लिए अपने डी-मैट खातों में अपना मोबाइल नं. और ई-मेल आईडी को अपडेट करें।

(iv) ऊपर निर्दिष्ट सेबी परिपत्र के अनुसरण में डी-मैट रूप से प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए लॉग-इन करने की पद्धति नीचे दी गई हैः

शेयरधारकों का स्वरूप	लॉग-इन पद्धति
सीडीएसएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल की ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का विकल्प दिया है वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते है। आगे किसी प्रमाणिकता के बिना ई वोटिंग वाले पेज पर पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्ट पर लॉगइन करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और लॉगइन आईकॉन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम माईईजी को स्लेक्ट करें। 2) ईजी/ईजीएस्ट पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद प्रयोक्ता ईवोटिंग मैन्यू को देख सकेंगे। निर्गमकर्ता/कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ईवोटिंग मैन्यू पर क्लिक करने पर प्रयोक्ता सम्बन्धित ईवोटिंग सर्विस प्रोवाइडर (ईएसपी) अर्थात सीडीएसएल/एनएसडीएल/ कार्वी/लिंक इनटाइम के लिंक सहित अपनी धारिता को देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, हम ईएसपी को लिंक उपलब्ध करा रहे हैं ताकि प्रयोक्ता ईवोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की साइट पर सीधे ही पहुंच सकें। 3) यदि प्रयोक्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है तो https://web.cdslindia. com/myeasy/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध है। 4) वैकल्पिक रूप से, प्रयोक्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध एक ई वोटिंग लिंक से डी-मैट खाता नं. और पैन नं. देते हुए अथवा

	https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin को क्लिक करके ईवोटिंग वाले पेज पर सीधे पहुंच सकता है । यह सिस्टम डी-मैट खाते में रिकार्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर प्रयोक्ता को प्रमाणित करेगा। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद प्रयोक्ता ई- वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां ई-वोटिंग जारी है और सभी ई -वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुंच सकेगा।
एनएसडीएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) यदि आप एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसस वेबसाइट पर जाएं। या तो निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोल सकते हैं। ई-सर्विसस का होम पेज खुल जाने पर "लागइन", जो आईडीईएएस सेक्शन के अधीन उपलब्ध है के अन्तर्गत "बेनिफिशयल ऑनर" आईकॉन पर क्लिक करें, जिससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफलतापूर्व प्रमाणीकरण होने के बाद आप ई-वोटिंग सर्विसिज को देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसिज के अधीन "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज को देख सकेंगे। आईएफसीआई के नाम या ईएसपी नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा। 2) यदि प्रयोक्ता आईडीईएएस ई-सर्विसिज सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध है। "रजिस्टर ऑनलाईन फॉर आईडीईएएस पोर्टल" का चयन करें या

	https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ईवोटिंग वेबसाइट पर जाएं। या तो अपने पर्सनल कम्प्युटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://evoting.nsdl.com को टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोले। ईवोटिंग सिस्टम का होम पेज खुल जाने पर "लागइन" आईकॉन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/ मेम्बर सेक्शन पर उपलब्ध है। इससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको यहा अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका 16 अंकों वाला डीमैट अकाउंट नम्बर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड डालना होगा। सफलता प्रमाणीकरण होने के बाद एनएसडीएल डिपोजटरी साइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा। कम्पनी के नाम या ईवोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा।
अपने **डिपाजिटरी भागीदार** के माध्यम से लॉगइन करने वाले शेयरधारक (डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले)	ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपाजिटरी भागीदार के माध्यम से अपने डी-मैट खाते की लॉगइन साख का उपयोग करते हुए भी लॉगइन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगइन होने के बाद आप ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे। जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं तो प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल की साइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग के फीचर्स देख सकेंगे। कम्पनी के नाम अर्थात् आईएफसीआई लिमिटेड या ईएसपी नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने

	के लिए ईएसपी की वेबसाइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणीः जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए हैं उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगैट यूजर आईडी और फॉरगैट पासवर्ड ऑप्शन का उपयोग करें।

डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए, डिपाजिटरी **अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने से सम्बन्धित किसी तकनीकी मामले के लिए हैल्पडैस्क।**

लॉगइन का प्रकार	**हैल्पडैस्क के विवरण**
सीडीएसएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	लॉगइन में किसी तकनीकी रूकावट के लिए सदस्य सीडीएसएल हेल्प डेस्क से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते है।
एनएसडीएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	लॉगइन में किसी तकनीकी रूकावट के लिए सदस्य एनएसडीएल के evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भेज कर अनुरोध कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं ।

(v) **अलग-अलग शेयरधारकों को छोड़कर, शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के लिए** ई - वोटिंग करने और वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए लॉगइन पद्धति।

1) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।

2) "शेयरहोल्डर्स मॉड्यूल्स" पर क्लिक करें।

3) अब अपना यूजर आईडी डालें

क. सीडीएसएल के लिए: शेयरधारक अपना 16 डिजिट का आईडी डालें,

ख. एनएसडीएल के लिए: 8 वर्णों का डीपी आईडी और 8 अंकों का क्लाइंट आईडी डालें,

ग. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य कम्पनी में पंजीकृत अपना फोलियो नम्बर डालें।

4) इसके उपरांत यथाप्रदर्शित इमेज वैरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉग इन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास डीमैट के रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है और इससे पहले किसी और कम्पनी की ईवोटिंग की है तो आपको अपना मौजूदा पासवर्ड ही इस्तेमाल करना होगा।

6) यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो नीचे बताया गया तरीका अपनाएंः

	अलग-अलग शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों को छोड़कर, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 वर्णों व अंकों वाला पैन नं- डालें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू)।

	• जिन सदस्यों ने अपना पैन कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के पास अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम नं. का प्रयोग करें या कम्पनी/आरटीए से सम्पर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि	लॉगइन करने के लिए आपने डीमैट खाते या कम्पनी में दिए गए रिकार्ड के अनुसार, लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि डालें। • यदि दोनों विवरण डिपाजिटरी या कम्पनी के रिकार्ड में नहीं हैं तो कृपया ऊपर निर्दिष्ट अनुदेश (iii) में यथानिर्दिष्ट लाभांश बैंक विवरण में सदस्यता आईडी/फोलियो नं. की प्रविष्टि करें।

(vi) इन विवरणों की उपयुक्त रूप से प्रविष्टि करने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

(vii) उस समय भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य सीधे तौर पर कम्पनी की चयन स्क्रीन पर जाएंगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मैन्यू में जाएंगे, जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का इस्तेमाल केवल डीमैट धारकों द्वारा ही किसी अन्य कम्पनी के संकल्पों के लिए वोट देने के लिए भी किया जा सकता है बशर्ते कि वह कम्पनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प अपनाए। इस बात की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।

(viii) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य इस सूचना में निर्दिष्ट संकल्पों पर केवल ई-वोटिंग के लिए इन विवरणों का प्रयोग कर सकते हैं।

(ix) आईएफसीआई के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(x) वोटिंग पृष्ठ पर आपको 'संकल्प विवरण' दिखाई देगा और उसके सामने वोट देने के लिए आपको 'हां/नहीं' का विकल्प दिखाई देगा। अपनी इच्छा के अनुसार 'हां' अथवा 'नहीं' का विकल्प चुनें। 'हां' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत हैं और 'नहीं' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(xi) यदि आप समग्र संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो 'संकल्प फाइल लिंक' पर क्लिक करें।

(xii) संकल्प का चयन करने के बाद आपने वोट करने का निर्णय किया है तो 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। तब आपको एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' बटन पर क्लिक करें और यदि आप अपना वोट बदलना चाहते हैं तो 'कैंसिल' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें।

(xiii) एक बार संकल्प पर अपने वोट की 'पुष्टि' करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) आप वोटिंग पेज पर 'प्रिंट के लिए यहां क्लिक करें' बटन पर क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xv) यदि डीमैट खाताधारक अपना बदला हुआ लॉग-इन करने का पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड एंटर करें और 'फॉरगेट पासवर्ड' पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दें।

(xvi) यदि कोई बोर्ड संकल्प/पावर ऑफ अटोरनी अपलोड किया गया हो तो उसे अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी दिया हुआ है, जिसे स्क्रूटिनाइजर को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

(xvii) व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए रिमोट वोटिंग अतिरिक्त सुविधा

- व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों (अर्थात् किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, गैर निवासी भारतीय आदि को छोड़कर)तथा अभिरक्षक के लिए यह अपेक्षित है कि वे www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और "कॉरपोरेट" के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें।

- संस्था को हस्ताक्षरित तथा मुहर लगे पंजीकरण प्रपत्र की एक स्कैन की गई कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करनी होगी।

- लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एक कम्प्लायंस यूजर का सृजन करना होगा। कम्प्लायंस यूजर उन्हें उस खाते (खातों) के साथ जोड़ेगा, जहां वे वोट करना चाहता है।

- लॉगिन में दी गई खातों की सूची स्वतः मैप हो जाएगी और यदि कोई गलत मेपिंग हो गई है तो इसे डिलिंक किया जा सकता है ।

- उन्हें बोर्ड संकल्प व पावर ऑफ अटार्नी की स्कैन की गई एक प्रति सिस्टम में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया हो, ताकि पड़ताल करने वाला प्राधिकारी उसका सत्यापन कर सके।

- वैकल्पिक रूप से, गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों को सम्बन्धित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि साथ में विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित, जो वोट देने के लिए अधिकृत है, पड़ताल अधिकारी और कम्पनी को ई-मेल पते अर्थात् complianceofficer@ifciltd.com

पर भेजनी होगी, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से इसे अपलोड नहीं किया है, तो पड़ताल अधिकारी को सत्यापित करने के लिए भेजा जाएगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग (वैन्यू वोटिंग) के लिए एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं -

1. ईजीएम के दिन बैठक तथा ई-वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेशों के अनुसार ही है।

2. रिमोट ई-वोटिंग के लिए उक्त दिए गए अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां कम्पनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।

3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है वह बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि वे ईजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

4. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बैठक में लैपटॉप/आईपैड की मार्फत भाग लें।

5. इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को कैमरा और अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का उपयोग करना होगा, ताकि बैठक के दौरान किसी तरह की कोई बाधा न हो।

6. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइसिस या टैबलेट्स या मोबाइल हॉटस्पाट के माध्यम से जुड़े हुए लैपटाप की मार्फत अपने सम्बन्धित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो वीडियो में रूकावट का सामना करना पड़ सकता है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि वे स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन का उपयोग करें, ताकि ऊपर दी गई किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।

7. जो शेयरधारक ईजीएम के दौरान अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे ईजीएम से कम से कम 7 दिन पूर्व स्पीकर के रूप में अपना अनुरोध complianceofficer@ifciltd.com को भेजकर स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं, जिसके साथ उन्हें अपना नाम, डी-मैट खाता संख्या/फोलियो नं., ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. भी देना होगा।

8. जिन शेयरधारकों ने स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराया है केवल वे ही ईजीएम के दौरान अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं बशर्ते कि इसके लिए पर्याप्त समय हो।

9. जो शेयरधारक ईजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं परन्तु उनके कुछ प्रश्न हैं, वे अपना नाम, डी-मैट खाता संख्या/फोलियो नं., ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. देते हुए ईजीएम से 7 दिन पूर्व अपने प्रश्न complianceofficer@ifciltd.com पर भेज सकते हैं। यदि आवश्यक समझा गया तो इन प्रश्नों का उत्तर कम्पनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से दिया जाएगा।

10. केवल वही शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया है और जिन्हें ऐसा करने के लिए अन्यथा रोका नहीं गया है, ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

11. यदि ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और यदि उसी शेयरधारक ने वीसी/ओएवीएम पद्धति के माध्यम से ईजीएम में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा, क्योंकि ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल ईजीएम में उपस्थित होने वाले शेयरधारकों को ही उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया , जिनके ई-मेल पते इस सूचना में प्रस्तावित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगइन ब्योरा प्राप्त करने के लिए भागीदारों के पास पंजीकृत नहीं हैं

भौतिक शेयरधारकों के लिए	कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे विवरण ईमेल के द्वारा कम्पनी को complianceofficer@ifciltd.com / आरटीए को admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर भेजें।
डीमैट शेयरधारकों के लिए	कृपया डीमैट खाते के विवरण (सीडीएसएल का 16 अंकों वाला हितोपभोगी का आईडी या एनएसडीएल का 16 अंकों वाला डीपी आईडी व क्लाईंट आईडी), नाम, क्लाईंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति पैन (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) कम्पनी को complianceofficer@ifciltd.com/ आरटीए को admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर भेजें।

व्यक्तिगत डिमेट शेयर धारकों के लिए - कृपया अपने संबन्धित डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट (डीपी) के पास अपना ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अद्यतन करें जिसकी ई वोटिंग करने तथा डिपोजिटरी के जरिये वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने के दौरान आवश्यकता होगी ।

ईजीएम में उपस्थित होने तथा सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग करने के सम्बन्ध में आपका कोई प्रश्न अथवा मुद्दा हो तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर सम्पर्क कर सकते है। ईवोटिंग की सुविधा से सम्बन्धित सभी शिकायतें निम्नलिखित को सम्बोधित की जाएंः

श्री राकेश दलवी, प्रबन्धक
सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस (इंडिया लिमिटेड)
ए विंग, 25वां तल, मैराथान फ्यूचरेक्स
मफतलाल मिल कम्पाउंड्स
एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई)
मुम्बई - 400 013
ई-मेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com
टोल फ्री नंबर - 1800 22 55 33

अन्य सूचनाः

(क) कट ऑफ तारीख तक अर्थात् (बृहस्पतिवार, 20 अक्तूबर, 2022) भौतिक रूप में अथवा डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कम्पनी के शेयरधारक ही रिमोट ईवोटिंग या ईजीएम में वीसी/ओएवीएम की मार्फत, जो भी मामला हो, स्थल वोटिंग से अपना वोट डालने के पात्र होगें। यदि कोई व्यक्ति कट ऑफ तारीख को सदस्य नहीं है तो उसे इस नोटिस को केवल सूचना के प्रयोजन से ही माना जाएगा।

(ख) रिमोट ईवोटिंग की अवधि सोमवार, 24 अक्तूबर, 2022 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और बुधवार, 26 अक्तूबर, 2022 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त हो जाएगी। इसके बाद वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा।

(ग) जो सदस्य वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट दे चुके हैं, वे केवल वीसी/ओएवीएम की मार्फत वार्षिक महासभा में भाग ले सकते हैं परंतु वे अपना वोट पुनः डालने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) शेयरधारक मतदान के लिए केवल एक ही तरीका अपना सकते हैं अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या बैठक में वीसी/ओएवीएम की मार्फत स्थल मतदान। दोनों तरीकों से वोट देने के मामले में रिमोट ई-वोटिंग की मार्फत दिए गए वोट को अन्तिम वोट माना जाएगा और ईजीएम में वीसी/ओएवीएम की मार्फत ईवोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ड.) निदेशक बोर्ड ने श्री देवेश वशिष्ठ (सदस्यता संख्या एफ8488 व सीओपी-13700), प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया है और उनके अनुपस्थित रहने पर मैसर्स संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएट के श्री विजय के सिंघल (सीओपी- 10385), प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को ईजीएम में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग एवं ई- वोटिंग की संवीक्षा करने तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

(च) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evoting@cdslindia.com पर तत्काल प्रदर्शित किया जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद इसे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इन परिणामों को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. को प्रेषित कर दिया जाएगा।

(छ) जिन सदस्यों के पास इक्विटी शेयर भौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि-, एफ-65, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-प्ए नई दिल्ली-110 020 को अपना पंजीकृत फोलियो नम्बर

बताते हुए शीघ्र सूचित करें। डी-मैट रूप में धारित शेयरों के सम्बन्ध में पते में परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदार को दी जानी अपेक्षित है।

(ज) जिन सदस्यों के पास एक ही नाम से एक से अधिक फोलियो हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को भेजें ताकि उनकी धारिता को एक ही फोलियो में समेकित किया जा सके और उन्हें बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

(झ) बेहतर निवेशक सेवाओं तथा कम्पनी के पास पड़े हुए अदावाकृत लाभांशों के सम्बन्ध में सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने पैन तथा बैंक खाता विवरण आरएण्डएसटीए/डिपाजिटरी भागीदारों, जैसा भी मामला हो, अद्यतन कराएं । शेयरधारकों'से अनुरोध है कि वे विवरणों के लिए आईएफसीआई की वेबसाइट को देखें।

(ञ) एमसीए के दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020 तथा एमसीए परिपत्र संख्या 01/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/20201 और अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार, ईजीएम की सूचना इलैक्ट्रोनिक माध्यम से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपोजिटरी भागीदार के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त कोई अद्यतन, सूचना यदि कोई हो, कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 1

पिछले कुछ वर्षों में, आईएफ़सीआई को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग से बजटीय समर्थन मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भी आईएफसीआई लिमिटेड को बजटीय आबंटन के अनुसार कम्पनी की शेयर पूंजी के अभिदान के रूप में 100 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबन्धों के अनुसार, कम्पनी निजी धारिता के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग नहीं कर सकती जब तक कि इनका आबंटन न हो और आबंटन के विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दर्ज न कराए गए हों ।

भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित अधिमान्य आबंटन से सम्बन्धित आवश्यक प्रकटन निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या	**विवरण**	**ब्योरा**
1.	अधिमान्य निर्गम के उद्देश्य तथा बोर्ड संकल्प पारित होने की तारीख	प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य कंपनी की शेयर पूंजी के अभिदान के लिए 100 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के लिए भारत सरकार को इक्विटी शेयर आवंटित करना है। अधिमान्य निर्गम की आय का उपयोग कंपनी की तरलता की स्थिति में सुधार, उसके ऋण दायित्वों की पूर्ति, स्थापना और अन्य संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बोर्ड ने 27 सितंबर, 2022 को आयोजित अपनी

		बैठक में, भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमान्य निर्गम को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, जो शेयरधारकों, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्राधिकरणों के अनुमोदन के अधीन आवश्यक था।
2.	जारी की जाने वाली कुल/विशिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या और कुल राशि जो कम्पनी इस निर्गम से जुटाने की इच्छुक है	कम्पनी प्रत्येक 10/- रुपए (दस रुपए) के अंकित मूल्य वाले 9,31,09,869 (नो करोड़ इकतीस लाख नो हजार आठ सौ उनहत्तर) इक्विटी शेयर, ("इक्विटी शेयर") भारत सरकार को 10.74 रुपए (दस रुपए चोहत्तर पैसे केवल) प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर {0.74 रुपए (चोहत्तर पैसे केवल) के प्रीमियम सहित} शेयर के मूल्य पर कुल मिलाकर 100,00,00,000 रुपए (एक सौ करोड़ रुपए) के शेयर जारी करने की इच्छुक है।
3.	व्यक्ति की श्रेणी जिसे आबंटन किया जाना प्रस्तावित है	इक्विटी का आबंटन कम्पनी के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को किया जाना प्रस्तावित है ।
4.	प्रस्ताव में अभिदान करने के लिए जारीकर्ता के प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों का आशय	कम्पनी के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार ने कुल 100 करोड़ रुपए की राशि तक अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयर में अभिदान करने की आशय व्यक्त किया है । कम्पनी के निदेशकों या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों का इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम में अभिदान करने का कोई आशय नहीं है ।

5.	अधिमान्य निर्गम से पूर्व और इसके पश्चात् जारीकर्ता का शेयरधारिता **पैटर्न**	**अधिमान्य निर्गम से पूर्व शेयरधारिता पैटर्न** 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनुसार शेयरधारिता पैट्रन निम्नानुसार हैः

श्रेणी	**इक्विटी शेयरों की संख्या**	**इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत**
प्रवर्तक शेयरधारिता {क}		
भारतीयः भारत सरकार	1,36,39,54,070	64.86
जन साधारण	----	----
निगमित निकाय	----	----
उप जोड़		
विदेशी प्रवर्तक	----	----
उप जोड़ {क}	1,36,39,54,070	64.86
गैर प्रवर्तक धारिता {ख}		
संस्थागत निवेशक	20,44,32,779	9.72
गैर-संस्थागत		
निजी निगमित	1,94,81,548	0.93

निकाय		
निदेशक व सम्बन्धी	----	----
भारतीय जनता	50,17,51,858	23.86
अन्य	1,33,71,050	.64
उप-जोड़ {ख}	73,90,37,235	35.14
सकल जोड़	2,10,29,91,305	100.00
अधिमान्य निर्गम के बाद शेयरधारिता पैटर्न 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनुसार शेयरधारिता पैट्रन निम्नानुसार हैः		
श्रेणी	**इक्विटी शेयरों की संख्या**	**इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत**
प्रवर्तक शेयरधारिता {क}		
भारतीयः भारत सरकार	1,45,70,63,939	66.35
जन साधारण	----	----
निगमित निकाय	----	----
उप जोड़		
विदेशी प्रवर्तक	----	----
उप जोड़ {क}	1,45,70,63,939	66.35

गैर प्रवर्तक धारिता {ख}		
संस्थागत निवेशक	20,44,32,779	9.31
निजी निगमित निकाय	1,94,81,548	0.89
निदेशक व सम्बन्धी	----	----
भारतीय जनता	50,17,51,858	22.84
अन्य	1,33,71,050	0.61
उप-जोड़ {ख}	73,90,37,235	33.65
सकल जोड़	2,19,61,01,174	100.00

6.	अधिमान्य निर्गम पूरा होने की अवधि	कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी आईसीडीआर विनिमयों के अनुसरण में इक्विटी शेयरों का आबंटन निम्नलिखित अवधि में किया जाएगाः क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 (प्रतिभूतियों का निजी धारण) के उपबन्धों के अनुसार शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर और; ख) कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के आबंटन के अनुमोदन का विशेष संकल्प पारित होने के 15 दिन के अंदर और ऐसा कोई अन्य अनुमोदन, जो पहले हो, जो इस सम्बन्ध में लिया जाना अपेक्षित है।
7.	स्वाभाविक व्यक्तियों की पहचान जो प्रस्तावित शेयर आबंटन से वास्तविक रूप से लाभान्वित होंगे और/या जो अंततः प्रस्तावित आबंटियों को नियंत्रित करता है	शेयर कम्पनी के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार को आबंटित किए जाने प्रस्तावित हैं और ये शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर धारित होंगे।
8.	अधिमान्य निर्गम के पश्चात् आबंटियों द्वारा धारित पूंजी का प्रतिशत	आबंटन के पश्चात् कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 64.86 प्रतिशत भारत सरकार के पास होगा ।
9.	वचनपत्र कि इन विनियमों के उपबन्धों की शर्तों के	लागू नहीं ।

	अनुसार, जहां यह करना अपेक्षित हो, जारीकर्ता विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्यों की पुनः गणना करेगा ।	
10.	वचनपत्र कि यदि आईसीडीआर विनियमों में निर्धारित अवधि के दौरान पुनः गणना की गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां ऐसे समय तक, जब तक आबंटियों द्वारा भुगतान न किया जाए, अवरुद्ध रहेंगी ।	लागू नही ।
11.	आईसीडीआर विनियमों की अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट प्रकटन, यदि जारीकर्ता या इसके किसी प्रवर्तक या निदेशक ने जानबूझ कर कोई चूक की है ।	लागू नहीं, क्योंकि न तो जारीकृता और न ही इसके प्रवर्तक या निदेशक जानबूझकर चूककर्ता हैं या धोखाधड़ी वाले ऋणी हैं ।
12.	अधिमान्य निर्गम के बाद आबंटनकर्ताओं की विद्यमान तथा प्रस्तावित स्थिति अर्थात् प्रवर्तक या गैर-प्रवर्तक	शेयरों के आबंटन के पूर्व एवं इसके बाद आबंटिती "प्रवर्तक" ही रहेगा ।
13.	इस बात पर विचार करते हुए कि प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम	वीसी/ओएवीएम की मार्फत इलेक्ट्रोनिक माध्यम से आयोजित ईजीएम में शेयरधारकों के समक्ष प्रैक्टसिंग कम्पनी सचिव का प्रमाणपत्र रखा

	आईसीडीआर विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप जारी किया गया है, को प्रमाणित करते हुए शेयरधारकों की महासभा के समक्ष प्रैक्टसिंग कम्पनी सचिव के प्रमाणपत्र की प्रति रखना जारीकर्ता उक्त उल्लिखित प्रमाणपत्र को वेबसाइट पर लगाएगा और इसका लिंक ईजीएम नोटिस में देगा ।	जाएगा । प्रैक्टसिंग कम्पनी सचिव का उक्त प्रमाणपत्र कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर भी उपलब्ध है ।
14.	निर्गम का मूल्य	ये इक्विटी शेयर भारत सरकार से बैंकिंग चैनल द्वारा शेयर आवेदन राशि के रूप में पहले से प्राप्त राशि के मद्दे जारी किए जाएंगे ।
15.	पंजीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ नकदी के अलावा मूल्य के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित आबंटन का औचित्य	लागू नहीं
16.	पंजीकृत मूल्यांकक की रिपोर्ट सहित मूल्य तक पहुंचने के आधार	मूल्य तक पहुंचने का आधार सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 164, आईएफसीआई के सूचीबद्ध इकाई होने के नाते । अतः पंजीकृत मूल्यांकक की रिपोर्ट लागू नहीं है ।
17.	आईसीडीआर विनियमावली	उचित तारीख मंगलवार, 27 सितंबर , 2022

	के अनुसार गणना किए गए मूल्य व उचित तारीख	(अर्थात् 27 अक्तूबर, 2022 को होने वाली असाधारण महासभा की तारीख से 30 दिन पूर्व) है । सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 164 के अनुसार गणन किया गया मूल्य सिक्युरिटी प्रीमियम के 0.74 रुपए सहित, 10.74 रुपए प्रति शेयर है ।
18.	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान पहले ही अधिमान्य आधार पर आबंटन किया गया है, प्रतिभूतियों की संख्या व उसका मूल्य	शून्य

कम्पनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक या उनका सम्बन्धी इस संकल्प से वित्तीय रूप से या अन्य किसी प्रकार से संबद्ध या हितबद्ध नहीं है, सिवाय सरकारी नामित निदेशकों के रूप में उनकी आधिकारिक हैसियत के।

आपके निदेशक सदस्यों से इस विशेष संकल्प का अनुमोदन करने की सिफारिश करते हैं ।

मद संख्या 2

आईएफ़सीआई इनफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) आपकी कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना रियल इस्टेट और अवस्थापना क्षेत्र में कार्य करने के लिए किया गया था। अपनी शुरुआत से, इसने समग्र भारत में कई परियोजनाओं का विकास किया है जिसमें वर्तमान में "आईआईडीएल सुइट्स" के नाम से ज्ञात एक होस्पिटलिटी यूनिट / सर्विसड अपार्टमेंट्स जिसका आईआईडीएल द्वारा परिचालन किया जा रहा है, भी शामिल है । इसके अलावा, आईआईडीएल 31 मार्च 2021 को आपकी कंपनी की एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी बनी ।

आईआईडीएल की शेयर पूंजी निम्नानुसार है:

विवरण	शेयरों की संख्या (प्रत्येक 10/- रुपये)	शेयर पूंजी (रुपये में)
अधिकृत शेयर पूंजी	1,00,00,00,000	1000,00,00,000
प्रदत्त शेयर पूंजी	42,70,99,243	427,09,92,430

नोटिस की तारीख को मौजूदा शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	विवरण	प्रत्येक 10 रुपये के शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	प्रवर्तक शेयरधारिता (आईएफ़सीआई लिमिटेड)	42,70,99,243	100%
2	जनता की शेयरधारिता	-	-

आईआईडीएल के निदेशक बोर्ड ने 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली होस्पिटलिटी यूनिट/सर्विसड अपार्टमेंट जिसका मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आधार पर आईआईडीएल की परिसंपत्तियों के मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक है, की बिक्री/का निपटान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। आपकी कंपनी के बोर्ड ने 10 अगस्त, 2022 की अपनी बैठक में उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया है ।

उक्त बिक्री/ निपटान के द्वारा, आईआईडीएल को वर्तमान बाजार स्थितियों के अनुसार उचित जगह पर निधियों को रखते हुए, संपत्ति के मूल्य का संवर्धन करने, निधियों का प्रमुख कारोबार में उपयोग करने, अच्छा मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमवली, 2015 का विनियम 21 (6) उपबंध करता है कोई भी कंपनी अपनी

महासभा में बिना विशेष प्रस्ताव पारित कराये वर्ष के दौरान सकल आधार पर महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की 20 प्रतिशत से अधिक की परिसंपत्ति की बिक्री अथवा निपटान नहीं कर सकती है सिवाय उन मामलों के जहां ऐसा विनिवेश न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा यथानुमोदित पुनर्गठन योजना के अंतर्गत अथवा इंसोल्वेंसी कोड़ की धारा 31 के अंतर्गत विधिवत अनुमोदित किया गया हो तथा ऐसी घटना को अनुमोदित किए गए रेसोल्यूशन प्लान के एक दिन के भीतर स्टॉक एक्स्चेंज को प्रकट कर दिया गया है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमवली, 2015 के विनियम 24 के अनुसार, एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसकी आय अथवा निवल मूल्य, सूचीबद्ध कंपनी और सहायक कंपनी की तत्काल पिछले लेखांकन वर्ष में समेकित आय अथवा निवल मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक हो ।

आपके निदेशक विशेष संकल्पों के द्वारा सदस्यों के अनुमोदन हेतु विशेष संकल्प की संस्तुति करते हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधीय कार्मिक अथवा उनके संबंधी किसी भी प्रकार से, उक्त विशेष संकल्पों में, सिवाय प्रवर्तक निदेशक होने की सीमा तक, वित्तीय रूप से अथवा अन्यथा, संबद्ध अथवा हितबद्ध नहीं है।

पंजीकृत कार्यालय

आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
सीआईएनः L74899DL1993GOI053677
टेलीफोनः011-41732000, फैक्सः 011-26230201
वेबसाइटः www.ifciltd.com
ई-मेलः complianceofficer@ifciltd.com

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार

(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

दिनांकः 27 सितंबर , 2022

<u>असाधारण महासभा स्थल का रूट मैप और प्रमुख लेंडमार्क</u>

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या 14/2020 और 39/2020 और अन्य लागू परिपत्रों तथा महासभाओं (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों की प्रयोज्यता के संदर्भ में दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश के संदर्भ में, कम्पनी असाधारण महासभा का आयोजन सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सभागार, प्रथम मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-19 में करेगी । कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार यह बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है और स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति अपेक्षित नहीं है और यह कि असाधारण महासभा की कार्यवाही बैठक के स्थल पर की गई मानी जाएगी ।